

प्रेस नोट

दिनांक 14.02.2024, थाना कौड़िया

जनपद गोण्डा।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गैरइरादतन मृत्यु करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

कार्यवाही—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-385/23, धारा 304,325, 323,504,506,147,149 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कृष्ण कुमार कोरी को खम्हरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 05.12.2023 को थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम चकईपुरवा मौजा बनगाई में दो पक्षों के मध्य बहेला जानवर हांकने की बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें विपक्षीगणों द्वारा वादी रामजागे पुत्र धनलाल पासवान व उसके परिजनों को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिसमें वादी के लड़के राजकुमार उर्फ निरहू को गम्भीर चोटें आयी थी। जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। वादी के तहरीर पर थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 18.02.2024 को थाना कौड़िया के उ0नि0 प्रशान्त कुमार गुप्ता मय टीम द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त कृष्ण कुमार कोरी को खम्हरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कृष्ण कुमार कोरी पुत्र रामऔतार कोरी नि0 ग्राम चकईपुरवा मौजा बनगाई थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-385/23, धारा 304,325,323,504,506,147,149 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 प्रशान्त कुमार गुप्ता।
02. का0 आदित्य यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 14.02.2024, थाना कौड़िया
जनपद गोण्डा।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा गैरइरादतन मृत्यु करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0-385/23, धारा 304, 325, 323,504,506,147,149 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कृष्ण कुमार कोरी को खम्हरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.12.2023 को थाना कौड़िया क्षेत्र के ग्राम चकईपुरवा मौजा बनगाई में दो पक्षों के मध्य बहेला जानवर हांकने की बात को लेकर विवाद हुआ था। जिसमें विपक्षीगणों द्वारा वादी रामजागे पुत्र धनलाल पासवान व उसके परिजनों को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिसमें वादी के लड़के राजकुमार उर्फ निरहू को गम्भीर चोटें आयी थी। जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। वादी के तहरीर पर थाना कौड़िया में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आज दिनांक 18.02.2024 को थाना कौड़िया के उ0नि0 प्रशान्त कुमार गुप्ता मय टीम द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त कृष्ण कुमार कोरी को खम्हरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कृष्ण कुमार कोरी पुत्र रामऔतार कोरी नि0 ग्राम चकईपुरवा मौजा बनगाई थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-385/23, धारा 304,325,323,504,506,147,149 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रशान्त कुमार गुप्ता।

02. का0 आदित्य यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.02.2024, थाना इटियाथोक

जनपद गोण्डा।

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा चोरी करने के वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 जोड़ी पायल, 06 अदद बिछुवा बरामद-

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्व श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0सं0 - 48/24 व 56/24 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, जनपद- गोंडा से सम्बन्धित प्रकाश में आया आरोपी अभियुक्त- 01. जुबेर अली पुत्र ताहिर निवासी कर्मडीह कला दर्जीजोत थाना इटियाथोक गोण्डा को इटियाथोक रेलवे स्टेशन कदम के पेड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 03 जोड़ी पायल, 06 अदद बिछुवा बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी श्री विजय सोनी पुत्र शिवराम सोनी निवासी ग्राम इटियाथोक बाजार थाना इटियाथोक गोण्डा ने दिनांक 06.02.2024 को व वादी श्री कृष्ण कुमार सोनी द्वारा दिनांक 11.02.2024 थाना इटियाथोक पर सूचना दिया कि अज्ञात चोर द्वारा हम लोगो के ज्वेलर्स की दुकान से चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में क्रमशः मु0अ0सं0 - 48/24 व 56/24 धारा 457/380 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी बरामदगी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 13.02.2024 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्तों-01. अरविन्द कुमार वर्मा 02. नूर मोहम्मद उर्फ राजा 03. चांद बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है आज दिनांक 14.02.2024 को पुनःप्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त जुबेर अली पुत्र ताहिर अली को इटियाथोक रेलवे स्टेशन कदम के पेड़ के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 03 जोड़ी पायल, 06 अदद बिछुवा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जुबेर अली पुत्र ताहिर निवासी कर्मडीह कला दर्जीजोत थाना इटियाथोक गोण्डा।

गिरफ्तारी का स्थान

इटियाथोक रेलवे स्टेशन कदम के पेड़ के पास थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 - 48/24, धारा 457, 380 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, जनपद- गोंडा।

02. मु0अ0सं0 - 56/24 धारा 457/380 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक, जनपद- गोंडा।

बरामदगी-

01. 03 जोड़ी पायल सफेद धातु,

02. 06 अदद बिछुवा सफेद धातु,

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 सुनील कुमार

02. उ0नि0 कामेश्वर राय

03. हे0का0 श्रवण यादव

04. हे0का0 संजय राय

मीडिया सेल, गोणडा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.02.2024, थाना छपिया,

जनपद गोण्डा।

थाना छपिया क्षेत्र अन्तर्गत फायरिंग कर हत्या करने के 04 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल(लाइसेन्सी) मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद मैग्जीन बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में गठित थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0-36/2024, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506, 336, 34 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद 04 आरोपी अभियुक्तों-01. गब्बर उर्फ राजू यादव 02. राजकुमार यादव उर्फ किन्नी को सोहिला अण्डर पास के पास से व 03. अर्जुन यादव 04. मायाराम को कुकुरभुक्वा से परशुरामपुर जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर गब्बर उर्फ राजू यादव के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल(लाइसेन्सी) .32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद मैग्जीन बरामद कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.2024 को समय करीब 12.40 बजे थाना छपिया क्षेत्र के ग्राम महोलीखोरी में आस-पास के दो पक्षों के मध्य रास्ते में टीनशेड लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ और मार-पीट व फायरिंग की घटना घटित हुई थी जिसमें एक पक्ष के 06 लोग घायल हुए थे घायलों को अस्पताल ले जाते समय एक घायल महिला उम्र लगभग 60 वर्ष की रास्ते में मृत्यु हो गयी उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-36/2024, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506, 336, 34 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट बनाम गब्बर उर्फ राजू यादव आदि 09 नामजद व कुछ अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा 05 टीमों का गठन कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष छपिया को निर्देशित किया गया है। आज दिनांक 14.02.2024 को पुलिस टीमों द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत नामजद अभियुक्तों. 01. गब्बर उर्फ राजू यादव 02. राजकुमार यादव उर्फ किन्नी 03. अर्जुन यादव व 04. मायाराम को गिरफ्तार कर अभियुक्त गब्बर उर्फ राजू यादव के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल(लाइसेन्सी) .32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद मैग्जीन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. गब्बर उर्फ राजू यादव पुत्र रामफेर निवासी पाण्डेयपुरवा मौजा मौहुली खोरी थाना छपिया जनपद गोण्डा
02. राजकुमार यादव उर्फ किन्नी पुत्र हट्टू उर्फ आशाराम यादव निवासी पाण्डेयपुरवा मौजा मौहुली खोरी थाना छपिया जनपद गोण्डा
03. अर्जुन यादव पुत्र श्रीराम निवासी पाण्डेयपुरवा मौजा मौहुली खोरी थाना छपिया जनपद गोण्डा
04. माया राम पुत्र रामफेर यादव निवासी पाण्डेयपुरवा मौजा मौहुली खोरी थाना छपिया जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-36/2024, धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 504, 506, 336, 34 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल(लाइसेन्सी) .32 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
02. 02 अदद मैग्जीन बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष सत्येन्द्र वर्मा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. उ0नि0 सुरेश यादव
03. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह
04. का0 अभिषोक सिंह
05. का0 दिनेश कुमार यादव
06. का0 संजेश सिंह
07. म0का0 ममता राज

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.02.2024

थाना कटराबाजार क्षेत्र अन्तर्गत हवाई फायर कर जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद बंदूक (लाइसेन्सी) बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-43/2024, धारा 323, 307, 504 भादवि व 27/30 आर्मस एक्ट से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त 01. मुस्तकीम पुत्र अलीनकी निवासी पैदामी पुरवामौजा सर्वांगपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बंदूक (लाइसेन्सी) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.02.2024 को थाना कटराबाजार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पैदामीपुरवा मौजा सर्वांगपुर में दो पक्षों (हाफिज पुत्र शाह मोहम्मद व मुस्तकीम पुत्र अलीनकी) के मध्य रास्ते में लकड़ी का लट्टा गाड़ने की बात को लेकर हुए झगड़े में मुस्तकीम द्वारा अपनी छत पर चढ़कर लाइसेन्सी बंदूक से फायर किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार पर मु0अ0सं0-43/2024, धारा 323, 307, 504 भादवि व 27/30 आर्मस एक्ट बनाम मुस्कीम आदि 04 नफर अभियुक्त के नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 14.02.2024 को पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत नामजद आरोपी अभियुक्त 01. मुस्तकीम पुत्र अली नकी निवासी पैदामी पुरवामौजा सर्वांगपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बंदूक (लाइसेन्सी) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. मुस्तकीम पुत्र अलीनकी निवासी पैदामी पुरवामौजा सर्वांगपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. घटना में प्रयुक्त 01 अदद बंदूक (लाइसेन्सी) बरामद।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-43/2024, धारा 323, 307, 504 भादवि व 27/30 आर्मस एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पवन कुमार गिरि
02. हे0का0 राकेश यादव
03. का0 अभिषेक गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.02.2024, मॉनिटरिंग सेल,

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विकशन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10-10 साल का कारावास व रूपए 27-27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विकशन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों-01. राजकुमार उर्फ कालू 02. शिवकुमार उर्फ ननकून 03. कृष्ण कुमार उर्फ रामप्रसाद को 10-10 साल का कारावास व 27-27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों-01. राजकुमार उर्फ कालू 02. शिवकुमार उर्फ ननकून 03. कृष्ण कुमार उर्फ रामप्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार हे0का0 वेद प्रकाश व कोर्ट मोहरीर द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा 10-10 साल का कारावास व 27-27 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. राजकुमार उर्फ कालू पुत्र रामसंवारे निवासी काकिन सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
02. शिवकुमार उर्फ ननकून पुत्र रामसंवारे निवासी काकिन सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. कृष्ण कुमार उर्फ रामप्रसाद पुत्र रामसंवारे निवासी काकिन सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-14/2004, धारा 307, 323, 325, 304, 506 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 14.02.2024

थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के 03 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी करनैलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-59/2024, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित नामजद 03 आरोपी अभियुक्त 01. मोहम्मद अहमद 02. मोहम्मद वसीम को उसके घर से व 03. करिया यादव को सरयू पुल के पास गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 14.02.2024 को थाना करनैलगंज क्षेत्र के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक गोण्डा करनलैगंज द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-59/2024, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट, बनाम 01. मोहम्मद अहमद 02. मोहम्मद वसीम 03. करिया यादव के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक मय टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत नामजद आरोपी अभियुक्त 01. बनाम 01. मोहम्मद अहमद 02. मोहम्मद वसीम 03. करिया यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा गिरोह बनाकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं को बध करने हेतु पकड़ते हैं और उनका मांस काटकर बेचते हैं इस गैंग का लीडर मोहम्मद अहमद है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. मोहम्मद अहमद पुत्र रसीद अहमद निवासी गोनवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मोहम्मद वसीम पुत्र रसीद अहमद निवासी गोनवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. करिया यादव पुत्र छेदी निवासी खालेपुरवा मौजा लालेमऊ थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-59/2024, धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री हेमन्त गौड़ थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक शम्भू सिंह
03. आरक्षी राघवेन्द्र कुमार
04. आरक्षी प्रदीप कुमार सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।